

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक : F1(2)455/Estt./F&B/2022-00224

जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के शिड्यूल -I के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंषा पर निम्न प्रशासनिक अधिकारी को वर्ष 2024-25 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर संस्थापन अधिकारी के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्र.स.	पदोन्नत कार्मिक का नाम	वर्ग	प्रभावी दिनांक
1	श्रीमती आशा जैन	सामान्य	01.04.2024 (वर्ष 2024-25)

साथ ही उक्त पदोन्नत अधिकारी को मुख्यालय, जयपुर में संस्थापन अधिकारी के रिक्त पद पर तुरंत प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नत अधिकारी नवीन पदस्थापन स्थान पर पदोन्नत पद का कार्यग्रहण कर रिपोर्ट प्रेषित करें।

आज्ञा से

(नरेश गोकलानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- सयुक्त सचिव (वी.के), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स एवं ई0एस0आई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स एवं ई0एस0आई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित अधिकारी मार्फत मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

